

आदेश

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के संचालन हेतु विभाग द्वारा SSO पोर्टल (Scholarship.rajasthan.gov.in) के माध्यम से शैक्षणिक रात्र 2018-19 के लिए विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हैं। SSO पोर्टल के साफ्टवेयर में किये गये प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2017-18 से पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए विश्वविद्यालयों/बोर्ड/काउन्सिल आदि का अनुमोदन सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग से करवाए जाने के संबंध में माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 21.11.2017 को आयोजित बैठक में लिये गए निर्णयानुसार SSO पोर्टल पर विभिन्न विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय आदि के अनुमोदन एवं उनके द्वारा संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों के सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों को उनके नाम के आगे अंकित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल के लिए अधिकृत किया जाता है :

क्र.सं.	प्रशासनिक विभाग	प्रशासनिक विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल आदि
1	उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग	राज्य में संचालित राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय, निजी चिकित्सा विश्वविद्यालय
2	तकनीकी शिक्षा विभाग	राज्य में संचालित राजकीय एवं निजी तकनीकी विश्वविद्यालय
3	चिकित्सा शिक्षा विभाग	राज्य में संचालित राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय
4	श्रम एवं कौशल विभाग	श्रम एवं कौशल विश्वविद्यालय तथा संबंधित बोर्ड एवं काउन्सिल (RCVT and BTET)
5	चिकित्सा विभाग (ग्रुप-3)	राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल
6	आयुर्वेद विभाग	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय
7	कृषि विभाग	राज्य में संचालित समस्त कृषि विश्वविद्यालय
8	गृह विभाग	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, जोधपुर
9	युवा एवं खेल मामलात विभाग	खेल विश्वविद्यालय, झुन्झुनु
	पशुपालन विभाग	राजस्थान वेटेनरी एवं ऐनिमल विश्वविद्यालय बीकानेर
10	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग/निदेशालय	समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (माध्यमिक)
11	संस्कृत शिक्षा विभाग/निदेशालय	जगद्गुरु रामानंदचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर एवं समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय (संस्कृत शिक्षा)
12	सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग	राज्य में संचालित समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय एवं राज्य के बाहर संचालित हो रहे समस्त राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान

उपरोक्त समस्त विभाग उनके अधीन संचालित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल आदि को SSO पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनका नाम, पदनाम, SSO ID एवं मोबाइल नं. सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग को ई-मेल sjeraj_edu@yahoo.com पर दिनांक 12.9.2018 तक आवश्यक रूप से सूचित करेंगे एवं इसकी प्रति rajeev.gujral@rajasthan.gov.in को भी अग्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किया जाए।

- प्रशासनिक विभाग के नोडल अधिकारी की SSO आईडी (व्यक्तिगत) को छात्रवृति पोर्टल पर मैप करने संबंधी कार्य किया जावेगा। उपरोक्त तालिका में अंकित विश्वविद्यालय/ बोर्ड/ काउन्सिल के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं का SSO पोर्टल पर ऑनलाईन सत्यापन उनके संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा ही किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017-18 से प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने अधीन विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल का SSO पोर्टल पर ऑनलाईन सत्यापन किए जाने के उपरान्त ही संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा उनके अधीन संचालित होने वाले एवं उनसे मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं व उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/पाठ्यक्रम हेतु आवंटित सीटों का ऑनलाईन सत्यापन कर सकेंगे।

जिन प्रशासनिक विभागों द्वारा वर्ष 2017-18 में अपने अधीन संचालित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल का अनुमोदन कर दिया गया था उन्हें वर्ष 2018-19 में पोर्टल पर कैरीफारवर्ड कर दिया गया है। प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा है कि वर्ष 2018-19 एवं भविष्य में गठित होने वाले नवीन विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल एवं नवीन पाठ्यक्रम संचालित होने की स्थिति में समय पर उनका सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अतः उपरोक्त सभी प्रशासनिक विभागों से अनुरोध है कि वह अपने विभाग के नोडल अधिकारियों को नामित करते हुए दिनांक 12.09.2018 तक सूचना विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(शुचि शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9 (4)उ.मै.छा./वर्ष 17-18/सान्ध्याख्यि/69198-15

दिनांक : 7-9-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.	विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामा. न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज, जयपुर।
2.	निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3.	निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4.	निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6.	निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7.	निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8.	निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, युवा एवं खेल विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
9.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11.	प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
12.	शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13.	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14.	निदेशक, माध्यमिक / संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
15.	श्री राजीव गुजराल, प्रोजेक्ट मैनेजर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15.	अतिरिक्त निदेशक(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16.	सिस्टम एनालिस्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17.	सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

शासन सचिव

५८